राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1314/2009/टोंक.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, सवाईमाधोपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बढाया ट्रेडर्स, सरदार बाघ रोड़, उनियारा, टोंक. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 11/6/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 13/वेट/2008–09/टोंक में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.03.2009 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, सवाईमाधोपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.11.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 15.11.2008 को खण्डार रोड़ जेतपुर ग्राम में वाहन संख्या आर.जे.26/जी–1262 को चैक किये जाने पर वाहन में **तिल्ली सीड** उनियारा से ग्वालियर (एम.पी.) के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित बिल संख्या 5253 दिनांक 15.11.2008 प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल अधिसूचित श्रेणी का होने एवं माल के साथ घोषणा–पत्र वेट–49 उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस दिनांक 15.11.2008 दिनांक 22.11.2008 जारी किया गया। नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 18.11.2008 में जाहिर किया कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.8.2008 द्वारा माल परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब के साथ घोषणा पत्र

लगातार.....2

वैट—49 संख्या 0682901 भी प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी ने प्रत्यर्थी के उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुये अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 3,49,040/— एवं वैट रूपये 46,539/— आरोपित करने का आदेश दिनांक 20.11.2008 पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.03.2009 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा वक्त जांच प्रत्यर्थी की ओर से परिवहनित अधिसूचित माल के साथ घोषणा पत्र वेट—49 नहीं पाया गया था। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अधिसूचित माल का परिवहन किये जाने के लिये सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत एवं न्यायोचित था। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टांत (2007) 18 टैक्स अपडेट 321** अनुसार वेट अधिनियम की धारा 76(2) के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिये अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं उक्त विधिक स्थिति पर समुचित रूप से विचार किए बिना ही विधिनुसार आरोपित की गयी शास्ति को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किए जाने का अनुरोध किया गया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी (विक्रेता व्यवहारी) वेट अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यवहारी है। तिलहन राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से वैट इन्वॉयस पर खरीदा है। माल अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में किये गये विक्रय से मैसर्स कैलाश इण्डस्ट्रीज, ग्वालियर को भेजा जा रहा था। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.10.1986 के द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 में घोषित वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय विक्रय किये जाने पर वस्तु पर राज्य में पूर्ण कर चुका हुआ होने पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में कोई कर देयता नहीं होती है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 08.12.1986 के द्वारा भी तिलहन पर राज्य में कर चुका हुआ होने पर चैकपोस्ट पर ऐसा माल नहीं रोकने के निर्देश जारी किये हुए हैं। खरीद बिल, रोकड़ बही, खाता बही व स्टॉक रजिस्टर को सबूत के रूप में

लगातार.....3

प्रस्तुत किया जाकर सत्यापन करवा दिया गया था। राज्य सरकार के निर्देश संख्या एफ.12(15) वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.8.2008 के द्वारा निर्देश जारी किये गये कि वैट–49 के अभव में शास्ति आरोपित नहीं की जावे। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी ने कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रस्तुत किये गये जवाब के साथ घोषणा–पत्र वैट–49 प्रस्तुत कर दिया गया था। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **(2013) 36 टैक्स अपडेट 37 मैसर्स हीरामणी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उड़नदस्ता, बांसवाड़ा व अन्य; माननीय राजस्थान कर बोर्ड का न्यायिक दृष्टान्त (2014) 10 आर.जी.एस. टी.आर. 106 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत–बी, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स लक्ष्मणदास सुरेन्द्र कुमार सांगरिया, हनुमानगढ़; (2011) 31 टैक्स अपडेट 372 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, बांसवाड़ा बनाम मैसर्स देशमन कान्टीनेन्टल फिगो प्रा0 लि0 भिवाड़ी एवं अपील संख्या 1319/2009/टोंक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–पाली बनाम मैसर्स भागचन्द लालचन्द जैन, टोंक में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2015** को उद्धरित करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में दिनांक 15.11.2008 को सक्षम अधिकारी की चैकिंग के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा परिवहनित अधिसूचित माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वेट–49 संलग्न नहीं पाये जाने पर, अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति एवं वेट का आरोपण किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 के द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय परिवहन के दौरान घोषणा प्ररूप वेट–47 एवं वेट–49 माल के साथ नहीं होने पर भी व्यवहारी के विरूद्ध शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के निर्देश हैं तथा उक्त आदेश दिनांक 27.02.2009 तक प्रभावी रहा है। अतः राज्य सरकार के उक्त नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जांच दिनांक 15.11.2008 को परिवहनित विवादित माल के साथ घोषणा पत्र वेट–49 नहीं होने पर, अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए, प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

लगातार.....4

7. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **(2014) 76 वी.एस.टी. 438 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन अलवर बनाम फूलसिंह व अन्य** के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि व्यवहारी ने मांग पर घोषणा–पत्र एस.टी.18सी प्रस्तुत करने पर शास्ति आरोपित नहीं की जानी चाहिये। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 (एस.सी.) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी.पी.मैटल्स; (2011) 41 वी.एस.टी. 25 (राज.) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी बनाम लॉयड इलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड; (2013) 62 वी.एस.टी. 464 (राज.) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, जयपुर बनाम टाटा आयरन एण्ड स्टील; (2013) 35 टैक्स अपडेट पार्ट–2 पेज 49 सेरा टेक बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी भिवाड़ी तथा (2014) 76 वी.एस.टी. 286 (राज.) वीडियोकोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मांग पर घोषणा–पत्र प्रस्तुत कर देने पर शास्ति आरोपणीय नहीं है।

8. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में घोषणा–पत्र वैट–49 संख्या 0682901 भी प्रस्तुत कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार नोटिस की पालना में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाने पर शास्ति का आरोपण अनुचित माना गया है।

8. उक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के प्रत्यर्थी के विरूद्ध आरोपित शास्ति एवं वैट को अपास्त किए जाने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 11.06.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य